"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2006—भाद्र 10, शक 1928

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-59/2005/सात/2006.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 181 सहपठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पट्टा (रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित इकाई हेतु शासकीय भूमि) नियम, 2006 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "संहिता" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959),

(2) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(3) "शासकीय संगठन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय उपक्रम जैसे क्रेडा, वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम इत्यादि,

(4) "अन्तर्विभागीय समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग द्वारा गठित अन्तर्विभागीय समिति,

(5) "रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित उत्पादन इकाई" से अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल उत्पादन इकाई को समाविष्ट करने वाली प्रक्षेत्रों या सम्पदाओं की स्थापना, जैविक ईंधन क्षेत्रों के अन्तर्गत उच्च तकनीक की कृषि परियोजनाएं, संकरबीज उत्पादन, टीशूकल्चर द्वारा पौध प्रजनन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है,

(6) "पट्टा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया भूमि का पट्टा, परन्तु उसमें उप पट्टा शामिल नहीं है,

(7) "पट्टेदार" से अभिप्रेत है वह संगठन जिसे इन नियमों के अन्तर्गत पट्टा दिया गया हो,

(8) "खादर भूमि" से अभिप्रेत है गली तथा संकीर्ण खाई में पानी द्वारा खराब की गई तथा सामान्य विधि में कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि,

(9) "मुमकिन भूमि" से अभिप्रेत है सामान्य विधि में कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि,

(10) "बंजर भूमि" से अभिप्रेत है विगत 10 वर्ष से अधिक समय तक रिक्त तथा सामान्य विधि में कृषि के लिये अनुपयुक्त शासकीय भूमि तथा इसमें शामिल है मुमकिन भूमि/खादर भूमि, परन्तु इसमें वन भूमि शामिल नहीं है.

3. **बंजर भूमि की पहचान :—**

जिलों में बंजर भूमि की पहचान इस निमित्त निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित समिति द्वारा की जायेगी —

(1)	कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(2)	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	—	सदस्य
(3)	उप संचालक कृषि	—	सदस्य सचिव
(4)	कार्यपालन अभियन्ता क्रेडा	—	सदस्य
(5)	खनिज अधिकारी	—	सदस्य
(6)	वन मण्डलाधिकारी	—	सदस्य

4. **पट्टा प्रदाय किया जाना :—**

(1) राज्य शासन रतनजोत/करंज वृक्षारोपण तथा बायोडीजल आधारित उत्पादन इकाई की स्थापना एवं संचालन के लिये बंजर भूमि का पट्टा किसी शासकीय संगठन को प्रदान कर सकेगा,

(2) संबंधित ग्राम के उपयोग हेतु आवश्यक बंजर भूमि इन नियमों के अन्तर्गत पट्टे पर नहीं दी जायेगी.

5. पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया :—

(1) पट्टे हेतु आवेदन इन नियमों की अनुसूची-1 में दिये गये प्ररूप में कलेक्टर को दिया जायेगा,

(2) आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियम 3 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा दी जायेगी,

(3) समिति की अनुशंसा के साथ कलेक्टर अनुसूची-2 के प्ररूप में प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजेंगे,

(4) राजस्व विभाग प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेव्हलपमेंट अथारिटी के समक्ष प्रस्तुत करेगा,

(5) छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेव्हलपमेंट अथारिटी की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण राजस्व विभाग की अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. पट्टे के संबंध में अन्तर्विभागीय समिति का निर्णय अंतिम होगा, तथा इसे राज्य शासन का निर्णय माना जाएगा,

(6) राज्य शासन का निर्णय कलेक्टर को राजस्व विभाग द्वारा संसूचित किया जाएगा,

(7) कलेक्टर द्वारा राज्य शासन का निर्णय आवेदक को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा,

(8) यदि राज्य शासन ने पट्टा देने का निर्णय लिया है तो कलेक्टर द्वारा पट्टा निष्पादन किया जाएगा,

(9) एक ही भूमि के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेव्हलपमेंट अथारिटी के द्वारा आवेदकों के पूर्व अनुभव, बायोफ्यूल के क्षेत्र में ज्ञान तथा भूमि के सदुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए आवेदक की अनुशंसा की जायेगी.

(10) इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी नगर निगम क्षेत्र की सीमा के 16 कि.मी, नगरपालिका/जिला मुख्यालय की सीमा से 8 कि.मी. नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से 4 कि. मी. की परिधि में स्थित भूमि का पट्टा नहीं दिया जावेगा.

6. पट्टे की शर्तें :—

(1) बंजर भूमि प्रथमत: 20 वर्ष के लिये आवंटित की जाएगी, राज्य शासन पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों के पालन, भविष्य की आवश्यकताओं तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टा नवीनीकरण कर सकेगा.

(2) पट्टेदार रतनजोत और करंज के वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित उत्पादन इकाई की स्थापना एवं संचालन के प्रयोजन के अतिरिक्त भूमि का अन्य उपयोग नहीं करेगा,

(3) पट्टेदार, पट्टा प्राप्त होने की तिथि से प्रथम 2 वर्ष के भीतर कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत निवेश करेगा तथा शेष राशि आगामी 3 वर्ष के भीतर निवेश करेगा,

(4) पट्टेदार, पट्टे की भूमि पर स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण नहीं करेगा.

(5) पट्टेदार, भूमि को उपपट्टे पर नहीं देगा,

(6) पट्टेदार, समस्त शासकीय तथा सार्वजनिक कर, उपकर इत्यादि के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा.

(7) पट्टेदार, पट्टे की भूमि पर रतनजोत और करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित उत्पादन इकाई का प्रबन्धन किसी ऐसी कम्पनी से करा सकेगा, जिसमें पट्टेदार शासकीय संगठन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशपूंजी हो परन्तु पट्टेदार, पट्टे की भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्तरित नहीं कर सकेगा और न ही उप पट्टे पर दे सकेगा.

7. **पट्टे का किराया :—**

पट्टे का वार्षिक किराया निम्नानुसार होगा—

(1)	प्रथम वर्ष	–	रु. 500/- प्रति हेक्टेयर
(2)	द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष	–	रु. 625/- प्रति हेक्टेयर
(3)	छठवें और सातवें वर्ष	–	रु. 900/- प्रति हेक्टेयर
(4)	आठवें वर्ष और उससे आगे	–	रु. 1400/- प्रति हेक्टेयर

8. **सुरक्षा निधि :—**

इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पट्टेदार रु. 5000/- प्रति हेक्टेयर, जो परियोजना की समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार को बिना ब्याज वापसी योग्य होगी जमा नहीं कर देता.

9. **निरीक्षण:—**

नियम 3 के अधीन गठित समिति वर्ष में कम से कम एकबार पट्टेदार के कार्य का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ बायोडीजल विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी.

10. **पट्टे का निरस्तीकरण, कब्जे की वापसी एवं पुनर्आवंटन :—**

(1) यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के दौरान इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के किसी उपबंध, नियम या पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पट्टे को निरस्त कर सकेगी.

(2) नियम 9 के अधीन निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर या अन्य प्रकार से पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन न किया जाना पाए जाने पर छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेव्हलपमेंट अथारिटी राज्य शासन को पट्टा निरस्त करने की अनुशंसा कर सकेगा एवं उस अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पट्टा निरस्त कर सकेगी.

(3) पट्टे की निरस्तीकरण के पश्चात् पट्टेदार का कब्जा संहिता की धारा 248 के अधीन अप्राधिकृत कब्जा माना जाएगा तथा राजस्व अधिकारी, संहिता की धारा 248 के अधीन ऐसे पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सक्षम होंगे.

(4) संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही के अतिरिक्त, पट्टेदार भूमि के रिक्त होने तक प्रति हेक्टेयर रु. 10000/- मासिक शास्ति भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा.

(5) पट्टे के निरस्तीकरण के पश्चात् राज्य शासन बंजर भूमि अन्य पट्टेदार को आवंटित कर सकेगी.

(6) राज्य शासन किसी कारण से समनुदेशन के बिना, कालावधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय पट्टे को निरस्त कर सकेगी.

(7) राज्य शासन किसी अन्य विशेष परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता होने पर पट्टा अवधि समाप्त होने के पूर्व [illegible] निरस्त कर सकेगी.

11. **कठिनाईयों का निराकरण :—**

इन नियमों के उपबन्धों के पालन में यदि कोई कठिनाई या विवाद उद्भूत हो तो छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **शिथिलीकरण :—**

राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल कर सकेगी.

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—**

पट्टा (रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित उत्पादन इकाई हेतु शासकीय भूमि) नियम, 2005 तथा आदेश संकल्प यदि कोई हो, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित या विखंडित, यथास्थिति किये जाते हैं.

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

अनुसूची - 1
[नियम 5 (1)]

आवेदन-पत्र

रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल संयंत्र स्थापना की एकीकृत परियोजना हेतु शासकीय संगठन को भूमि आवंटन

[पट्टा (रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित इकाई हेतु शासकीय भूमि) नियम, 2006]

प्रति,

कलेक्टर
जिला ....

....

हम ...., रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल संयंत्र स्थापना संबंधी एकीकृत परियोजना हेतु भूमि के आवंटन के लिये निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं :—

1. आवेदक शासकीय संगठन का विवरण :—

नाम : ....

2. पता : ....

3. आवेदक शासकीय संगठन का वर्तमान व्यवसाय एवं तत्संबंधी विवरण :-

....

....

....

4. आवेदक शासकीय संगठन इकाई का प्रोफाईल :—

5. आवेदित भूमि के ब्योरे :- (खसरे तथा पटवारी नक्शों के प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें.)

6. आवेदक शासकीय संगठन द्वारा यदि किसी स्थान/अन्य प्रदेश में इसी प्रकार की परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो तो उसका विवरण.

....

....

(यदि आवश्यक हो तो पृथक से शीट संलग्न करें.)

7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु :—

1. वृक्षारोपण हेतु चयनित पौधे :- रतनजोत/करंज

2. चिन्हित भूमि की मृदा प्रकार : ....

3. चिन्हित स्थल पर भू-जल उपलब्धता : ....

4. प्रस्तावित अन्तर्वर्ती फसलें : ....

5. बायोडीजल संयंत्र की क्षमता : प्रतिदिन............... टन/दिन

8. वित्तीय विवरण :-

1. आवेदक के लेखाओं अनुसार राशि उपलब्धता ....

2. इस परियोजना हेतु उपलब्ध राशि ....

3. प्रस्तावित बैंक ऋण ....

4. वार्षिक किस्त एवं अवधि ....

5. कुल परियोजना लागत ....

9. परियोजना प्रबन्धन प्रणाली (संलग्नक रूप में) ....

मैं .... (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य है. इस आवेदन के अनुसार भू-आवंटन के संबंध में राज्य शासन के नियमों से सहमत हूं, तथा शासन द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करूंगा.

दिनांक

आवेदक शासकीय संगठन के हस्ताक्षर

(नाम एवं सील सहित)

अनुसूची - 2
[नियम 5 (3)]

कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को प्रस्ताव

[पट्टा (रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित इकाई हेतु शासकीय भूमि) नियम, 2006 के तहत चेक लिस्ट]

1. क्या राजस्व प्रकरण संलग्न है (क्रमांक भी लिखें) ....
2. क्या प्रश्नाधीन भूमि नजूल की परिभाषा में आती है ? यदि वह निस्तार पत्रक आदि की भूमि है तो क्या उसे निस्तार पत्रक से परिवर्तित की गई है ? ....
3. क्या जिलाधीश के प्रतिवेदन की मांग प्रक्रिया भी संलग्न है ? ....
4. क्या आवेदन पत्र संलग्न है ? ....
5. क्या नक्शा की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है ? ....
6. क्या खसरा एवं भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है ? ....
7. आवेदित भूमि की चारों दिशाओं में स्थित भूमि को नक्शे में चिन्हांकित किया गया है कि नहीं ? ....
8. क्या पड़ोसियों की सहमति संलग्न है ? ....
9. क्या शासन से संबंधित विभागों की सहमति संलग्न है ? ....
10. क्या नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की सहमति संलग्न है ? ....
11. क्या नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की सहमति संलग्न है ? ....
12. क्या उद्घोषणा पत्र जारी कर आपत्ति बुलाई गई है ? ....
13. क्या आपत्तियों का निराकरण किया गया है ? ....
14. क्या आवश्यकता अनुसार अविन्यास स्वीकृत है ? ....
15. जिस उपयोग के लिये भूमि चाहिये क्या उससे संबंधित विभाग का मत लिया गया है ? ....
16. क्या उस भूमि के उपयोग के लिये पर्याप्त धन की राशि उपलब्ध है ? ....

17. पूर्व के एक वित्तीय वर्ष की बिक्रियों के आधार पर भूमि की दर क्या है तथा वर्तमान गाईड-लाईन के आधार पर भूमि की दर क्या है ? ....

18. क्या प्रब्याजि एवं भू-भाटक की गणना नियमानुसार है ? ....

19. क्या आवेदित संस्था पंजीबद्ध है ? (पंजीकरण छ. ग. में होना आवश्यक है) ....

20. यदि भूमि अन्य विभाग के अधिपत्य में है तो क्या उससे अनुमति ले ली गई है ? ....

21. क्या बिना नीलामी के भूमि आवंटन किये जाने के पर्याप्त कारण हैं ? ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर

जिला ....

Raipur, the 1st September 2006

NOTIFICATION

No. F 4-59/2005/Seven/06.—In exercise of the powers conferred under section 181 read with section 258 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title, extent and commencement :—

(1) These rules may be called The Lease (Government land for Ratanjot/Karanj plantation and bio-diesel based processing unit) rules, 2006,

(2) It shall extend to the whole of Chhattisgarh,

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "Code" means, Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959),

(2) "State Government" means, Government of Chhattisgarh,

(3) "Government Organization" means, Government Undertakings of Government of Chhattisgarh, such as CREDA, Forest Development Corporation, Agriculture and Seed Development Corporation, etc.,

(4) "Interdepartmental Committee" means, the Interdepartmental Committee constituted by Government of Chhattisgarh Revenue Department,

(5) "Ratanjot/Karanj and bio-diesel based processing unit" means and includes establishment of complexes or estates comprising Ratanjot/Karanj plantation and bio-diesel processing industrial units. Composite high technology agricultural projects in the areas of Bio-fuel, hybrid seed production, micro-propagation through tissue culture etc., and research and development activities including training.

(6) "Lease" means, lease given under these rules but does not include sub-lease,

(7) "Lessee" means, the organization which has been granted a lease under these rules,

(8) "Ravine land" means, land spoiled by water into gully and narrow gorges and unfit for cultivation by ordinary means,

(9) "Mumkin land" means, land unfit for cultivation by ordinary means,

(10) "Waste Land" means Government land lying vacant for more than 10 years which is unfit for cultivation by ordinary means, and includes mumkin land and ravine land, but does not include forest land.

3. Identification of Waste Land :—

Waste land will be identified in districts by the committee constituted for this purpose comprising of the following members :—

(1) Collector — Chairperson

(2) General Manager District Industries Center - Member
(3) Deputy Director Agriculture - Member Secretary
(4) Executive Engineer CREDA - Member
(5) Mininig Officer - Member
(6) Divisional Forest Officer - Member

4. **Grant of Lease :—**

(1) State Government may grant a lease of waste land to a Government Organization for Ratanjot/Karanj plantation and establishment and running of Bio-diesel based processing unit.

(2) Waste land required for the use of the concerned village shall not be given on lease under these rules.

5. **Procedure for Grant of lease :—**

(1) The application for lease shall be made to the collector in the format given in schedule-1.

(2) Within one month of the receipt of the application, the committee constituted under rule 3 shall examine it and give its recommendation,

(3) Collector shall send the proposal to the Revenue Department in the format given in schedule-2 along with the recommendation of the committee,

(4) Revenue department shall submit the cases received by it after examination to Chhattisgarh Bio-diesel Development Authority,

(5) On receipt of the recommendation of Chhattisgarh Bio-diesel Development Authority the case shall be submitted for decision to the Interdepartmental Committee of the Revenue Department. The decision of the Interdepartmental Committee with respect to the lease shall be final and shall be deemed to be the decision of the State Government,

(6) The decision of the interdepartmental committee shall be communicated to the collector by the Revenue Department,

(7) The decision of the State Government shall be communicated to the applicant in writing by the Collector.

(8) If the State Government has decided to grant lease, the lease shall be executed by the Collector.

(9) If more than one application is received for the same land, Chhattisgarh Bio-diesel Development Authority shall recommend one applicant keeping in view the previous experience of the applicants, knowledge in the field of bio-fuel and the possibility of proper utilization of land.

(10) Land situated within 16 Kms of the limits of the area of a Municipal Corporation, 8 Kms of the limits of the area of a Municipal Committee/District Headquarters or 4 Kms of the limits of the area of a Nagar Panchayat shall not be given on lease under these rules.

6. **Conditions of Lease :—**

(1) Waste land will be allotted first for 20 years. the State Government may renew the lease after considering the compliance with the conditons of the lease, necessity of the land in future and public interest, for a further period of 10 years.

(2) The lessee shall not use the land for any purpose other than plantation of Ratanjot and Karanj and establishment and running of bio-diesel based processing unit.

(3) The lessee shall invest 50 percent of the total project cost within 2 years from the date of grant of lease. and shall invest the remaining amount within the next 3 years.

(4) The lessee shall not make any construction of permanent nature on the leased land.

(5) Lessee shall not sub-lease the land.

(6) Lessee shall be responsible for the payment of all Government and public tax, cess etc..

(7) Lessee may get the Jatropha and Karanj plantation and Bio-diesel based processing unit managed by a company in which the lessee Government Organization has at least 26 percent share holding, but the lessee shall neither transfer the land to anybody nor sub-lease it under any circumstance.

7. Lease Rent :—

The lease rent shall be as follows :—

(1)	First Year	Rs. 500/- hectare
(2)	Second to Fifth Year	Rs. 625/- hectare
(3)	Sixth and Seventh Year	Rs. 900/- hectare
(4)	Eight Year and afterwards	Rs. 1400/- hectare.

8. Security Deposit :—

No allotment under these rules shall be made unless lessee deposits Rupees 5000/- hectare, which shall be refundable without interest to the lessee after completion of the Project.

9. Inspection :—

The committee constituted under rule 3 shall inspect the work of the lessee at least once a year and the inspection report shall be submitted through the collector to the Chhattisgarh Bio-diesel Development Authority.

10. Cancellation of lease, return of possession and re-allotment :—

(1) The State Government may, after giving an opportunity of being heard, cancel the lease at any time if the lessee contravenes, any provision of any Act or Rules for the time being in force or the conditions of the lease.

(2) On the basis of the inspection report under rule 9 or on non-compliance with the conditions of the lease by the lessee in any other manner, Chhattisgarh Bio-diesel Development Authority may recommend the cancellation of lease to the State Government, and the State Government may cancel the lease on the basis of this recommendation after giving an opportunity of being heard to the lessee.

(3) After cancellation of the lease the possession of the lessee shall be deemed to be unauthorized possession under section 248 of the code and revenue officers shall be competent to take action against such lessee under section 248 of the code.

(4) In addition to the action under section 248 of the code the lessee shall be liable to pay a penalty of Rs. 10,000/- per hectare per month till the land is vacated by the lessee.

(5) After the cancellation of the lease the State Government may allot the waste land to another lessee.

(6) State Government may cancel the lease at any time before the completion of the lease period without assigning any reason.

(7) State Government may cancel the lease before the completion of the lease period if the land is needed for some other special project.

11. Removal of difficulties :—

If any difficulty or dispute arises in carying out the provisions of these rules, the decision of the Revenue Department. shall be final.

12. Relaxation :—

State Government may by notification in the official gazette relax any provisions of these rules.

13. Repeal and Savings :—

Lease (Government land for Jatropha/Karanj plantation and Bio-diesel based processing unit) Rules, 2005, and orders, resolutions, if any in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed or rescinded as the case may be in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
ALOK SHUKLA, Secretary.

SCHEDULE—I
[Rule 5 (1)]

Application Form

Allotment of land for an Integrated Project for Jatropha/Karanj Plantation and Bio-diesel processing unit to a Government Organization

[Lease (Government land for Ratanjot/Karanj plantation and bio-diesel based processing unit) rules. 2006]

To

The Collector

District..

We ...., apply as follows for the allotment of land for an integrated Project for Jatropha/Karanj Plantation and Bio-diesel processing unit :—

1. Particulars of the applicant Government Organization :—

(a) Name ....

(b) Address ....

(c) Telephone/Fax/Email ....

2. Category of the Government Organization ....

3. Particulars of the present business of the Government Organization

....

....

....

4. Profile of the Applicant Government Organization (Annexure)

5. Particulars of the land applied (Kindly enclose certified copies of Khasra and Patwari map)

6. Particulars of any other similar Project being implemented by the applicant Government Organization

....

....

....

....

(Add more sheets if necessary)

7. Main points of the Detailed Project proposal of the applicant

(a) Trees selected for plantation : Jatropha/Karanj
(b) Type of soil of the identified land
(c) Availability of ground water in the identified land
(d) Proposed intercropping
(e) Capacity of the bio-diesel unit : Tonnes/day

8. Financial Particulars :

(a) Availability of money as per the accounts of the applicant
(b) Total money available for the Project
(c) Proposed bank loan
(d) Annual installment and duration
(e) Total Project cost

9. Project management systems (As annexure)

I..(Authorized signatory) solemnly affirm that all information given in this application are true. I agree to abide by all rules of the Government relating to the allotment of land, and follow all conditions imposed by the Government.

Siganture
Name of the Officer
Seal of Office

Date..........................

SCHEDULE—2
[Rule 5 (3)]

Proposal by the Collector to the Government

[Check list under lease (Government land for Ratanjot/Karanj plantation and bio-diesel based processing unit) rules, 2006]

1. Is the revenue case enclosed (Give Case Number)
2. Is the land in question Nazul land ? If it is land in Nistar Patrak etc., has it been removed from the Nistar Patrak ?
3. Is the procedure of the Collector also enclosed ?
4. Is the application enclosed ?
5. Is the certified copy of map enclosed ?
6. Are certified copies of Khasra and land records enclosed ?
7. Has the land on all four sides of the applied land marked in the map ?
8. Is the consent of the neighbours enclosed ?
9. Is the consent of the concerned departments of the Government enclosed ?
10. Is the consent of the Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat/Village Panchayat enclosed ?
11. Is the consent of the Town and country planning department enclosed ?
12. Whether objections were invited by issue of Udghoshna ?
13. Have the objections been removed ?
14. Is the layout approved ?
15. Has the opinion of the department related to the purpose for which land is required been taken ?
16. Is sufficient money available for the use of land ?
17. what is the rate of land as per the sale of last one year in the area, and what is the rate of land as per this year's guideline ?
18. Is the calculation of premium and rent as per rules ?
19. Is the applicant organization registered ? Registration should by in Chhattisgarh.
20. If the land is in the possession of another department, has their permission been taken ?
21. Are their sufficient reasons for allotment of land without auction ?

Signature
Collector
District ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.